

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-133/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रीति कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैसाखाल, जीरादेई, सिवान सम्प्रति पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हरिया, सिवान के द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-02.10.2022 से 08.12.2022 तक कुल-68 (अडसठ) दिन का उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-133/2026- 1732/2 पटना, दिनांक 24/2/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जीरादेई, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/ डा० प्रीति कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैसाखाल, जीरादेई, सिवान सम्प्रति पदस्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हरिया, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/2026

सरकार के अवर सचिव